265

संख्या–802/XVIII(II)/12–18(17)/2012

प्रेषक,

ओमप्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
पिथौरागढ।

देहरादूनः दिनांक 22 मई, 2012

राजस्व अनुभाग–2

विषयः–तहसील पिथौरागढ, पटवारी क्षेत्र, नैनीसैनी के ग्राम नैनीसैनी में क्रीडा स्थल के निर्माण हेतु 0.602 है0 भूमि युवा कल्याण विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र सं0–401/सात–16/2011–12 दिनांक–22.02.2012, के संदर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, तहसील पिथौरागढ, पटवारी क्षेत्र नैनीसैनी के ग्राम नैनीसैनी में क्रीडा स्थल के निर्माण हेतु आपके द्वारा संस्तुत/अनुमोदित खाता संख्या–230 श्रेणी–5(3)ड़ कृषि योग्य बंजर खेत नं0–4435 रकबा 03 नाली 10 मुट्ठी, खेत नम्बर–4436 रकबा 03 नाली 06 मुट्ठी तथा ग्राम नैनीसैनी के गैर जमीदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–408 श्रेणी–9(3)ड़ बंजर काबिल आबाद के खेत नं0–4438 रकबा 23 नाली अर्थात कुल 30 नाली (0.602 है0) भूमि, वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या– 260/वित्त अनुभाग–3/2002 दिनांक 15–2–2002 में निहित प्राविधानों एवं युवा कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति/अनापत्ति के दृष्टिगत निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अनुसार, युवा कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड को निःशुल्क हस्तान्तरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2– जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।

3– हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

.....2

4– यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नही लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

5– जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नही की जायेगी।

6– जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पडी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु, तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

पृ0प0संख्या–802 /समदिनांकित/2012

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, युवा कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
3– आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
4– निदेशक, युवा कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
5– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
6– प्रभारी, मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।